## न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) समक्षः—दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए-300049 / 2016</u> संस्थित दिनांक-27.06.16

बच्चूलाल उम्र—67 वर्ष पिता पुसु, जाति परधान, निवासी—ग्राम झाराखेड़ा तहसील परसवाड़ा, हा.मु. परधानी मोहल्ला बैहर तह. बैहर, जिला बालाघाट

.....वादी

# <mark>—</mark> / / <u>विरूद</u>्ध / / –

1.बिरियाबाई, उम्र 70 वर्ष पिता पुसु, जाति परधान, निवासी—ग्राम मोहबट्टा, तह. बैहर, जिला बालाघाट 2.मध्यप्रदेश शासन, तर्फे प्रतिनिधि कलेक्टर, बालाघाट

.प्रतिवादीगण

#### -//<u>निर्णय</u>//-(आज दिनांक-30.11.2017 को घोषित)

- 1. वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं तहसीलदार परसवाड़ा के रा.प्र.क—16अ/27 वर्ष 2014—2015 में पारित आदेश दिनांक—13.04.2016 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था।
- वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रति.क-1 आपस में भाई-बहन हैं। वादग्रस्त भूमि ख.नं-1/6 रकबा 0.101 हें, ख.नं-53 रकबा 4.598 हे. ख.नं-51/1 रकबा 2.761 हे. मीजा झाराखेड़ा प.ह.नं-40 रा.नि.मं. मझगांव, तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित है। उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रति.क-1 के पिता पुसू के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र-पुत्री का नाम वारसान के रूप में दर्ज हुआ था। प्रति.क-1 विवाह के पश्चात् ग्राम मोहबट्टा में रहने लगी थी। विवादित भूमि पर वह कभी मालिक काबिज नहीं रही थी। प्रति.क-1 के विवाह के समय आदिवासी परधान जाति में प्रचलित रुढि अनुसार हरे मण्डप में वादी के पिता ने 4 एकड़ भूमि देने का वचन दिया था। प्रचलित रूढि के अनुसार विवाह के समय जो दान-दहेज में दिया जाता है उससे अधिक उनका पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं रहता। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में से मात्र 4 एकड़ भूमि ही प्रति.क-1, वादी से प्राप्त करने की हकदार है। प्रति.क-1 राजस्व अभिलेखों में शामिल सरिक नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर एवं वास्तविक तथ्यों को छ्पाकर वादी के स्वत्व एवं कब्जे की भूमि को हड़प करना चाहती है। इसी उद्देश्य से उसने न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में आवेदनपत्र बंटवारा के लिए प्रस्तुत किया था, जिसमें

वादी द्वारा प्रस्तुत आपित पर साक्ष्य ग्रहण किये बिना ही एक तरफा निर्णय पारित कर दिया गया था। फलस्वरूप रा.प्र.क.16 अ/27 वर्ष 2014—15 निरस्त किये जाने योग्य है। वादी तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में कई बार साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ था, किन्तु उसकी साक्ष्य नहीं ली गई थी, बिना गुण—दोषों के आधार पर उक्त निर्णय पारित कर दिया था, जो वादी पर बंधनकारी नहीं है। प्रति.क—1 तहसीलदार परसवाड़ा के आदेशानुसार संपूर्ण विवादित भूमि में से 9. 22 एकड़ भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपना नाम चोरी से दर्ज कराकर विकय करने का प्रयास कर रही है। वादी आदिवासी परधान जाति में प्रचलित रूढ़ि अनुसार संपुर्ण भूमि रकबा 18.43 एकड़ में से प्रति.क—01 को विवाह के समय हिस्से में दी गई 4.00 एकड़ भूमि देने के पश्चात् 14.43 एकड़ भूमि का स्वत्व पाने का अधिकारी है। वादी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रति.क-1 ने वादी के वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को 3. अस्वीकार कर अपने विशिष्ट कथन में बताया है कि वादी एवं प्रति.क–1 आपस में सगे भाई-बहन होकर पुसु के विधिक वारसान हैं। पुसु के नाम से मौजा झाराखेड़ा प.ह.नं-11/40 में विवादित भूमि राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी। पुसु की मृत्यु के पश्चात् वादी एवं प्रति.क—1 का नाम फौती नामांतरण होकर शामिल-सरीक दर्ज हुआ था, तब से वादी एवं प्रति.क-1 के कब्जे में उक्त भूमि थी। मृतक पुसु के नाम से पहले जो भूमि दर्ज थी, वह ख.नं-1/6 रकबा 0. 25 / 0.101 हे., ख.नं – 51 रकबा 7.82 / 3.165 हे., ख.नं – 53 रकबा 11.36 / 4.598 हे. थी। उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रति.क-1 के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी एवं प्रति.क-1 के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई थी, जिसमें से वादी एवं प्रति. क-1 ने मिलकर ख.नं-51 में से 0.50 एकड़ भूमि मुन्नासिंह को दिनांक-26.06. 2000 को विक्रय की थी। वादी ने प्रति.क-1 की चोरी से ख.नं-51 में से 0. 50 एकड़ भूमि देवलाल को दिनांक-25.05.1999 को विक्रय की थी। उपरोक्त भूमि में से विकय करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि शेष बची थी, जो वादी एवं प्रति.क-1 के नाम से शामिल-सरीक दर्ज थी, जिस पर वादी एवं प्रति.क-1 संयुक्त रूप से मालिक काबिज थे, किन्तु वादी ने कुछ दिनों से प्रति.क-1 को उसके हिस्से की भूमि की फसल देना बंद कर दिया था। इस कारण प्रति.क.-1 ने तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में भूमि के बंटवारे के लिए धारा-178 म.प्र.भू.रा.संहिता का आवेदन पेश किया था, जिसका रा.प्र.क—16अ / 27 वर्ष 2014—15 दर्ज किया जाकर वादी एवं प्रति.कू-1 को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर दिनांक-13.04. 2016 को वाद कथित कुल रकबा 18.43 एकड़ भूमि में से वादी को 9.21 एकड़

भूमि एवं प्रति.क—1 को 9.22 एकड़ भूमि बंटवारे में देने का आदेश पारित किया था। प्रति.क—1 ने वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

- 4. प्रकरण में प्रति.क.—2 दिनांक—09.03.17 को एकपक्षीय हुआ हैं। इस कारण प्रति.क.—2 की ओर से वादी के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया है।
- 5. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क.	बादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक—1/16 रकबा 0.101 हेक्टेयर, खसरा नंबर—51/1 रकबा 2.271 हेक्टेयर, खसरा नंबर—53 रकबा 4.598 हेक्टेयर भूमि में से 14.43 एकड़ के स्वत्व घोषणा के अधिकारी हैं?	''आंशिक रूप से प्रमाणित''
2	क्या राजस्व न्यायालय परसवाड़ा का प्रकरण कमांक—16अ / 27 आदेश दिनांक—13.04.2016 विधि विरूद्ध होने से शून्य है ?	''प्रमाणित नहीं''
3	क्या प्रतिवादी क्रमांक—1 वादी के कब्जे की भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने के लिए प्रयासरत् है ?	''प्रमाणित नहीं''
4	क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	"प्रमाणित नहीं"
5	सहायता एवं व्यय ?	वादी उसका वादपत्र आंशिक रूप प्रमाणित करने में सफल रहा है।

# वादप्रश्न क.-1,2,3,4 का निराकरणः

- 6. वादप्रश्न क. 1 लगा. 4 एक-दूसरे से संबंधित हैं। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण वादप्रश्न क. 1 लगा. 4 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7. बच्चुलाल वा.सा.१ ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं-1/6 रकबा 0.101 हे., ख.नं-53 रकबा 4.598 हे. ख.नं-51/1 रकबा 2.761 हे. कुल रकबा 7.460 हे. मीजा झाराखेड़ा प.ह.नं-40 रा.नि.मं. मझगांव, तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट की भूमि वादी की पैतृक हक में प्राप्त संपत्ति है। वादी एवं प्रति.क-1 के पिता के नाम से वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी का एवं उसकी

बहन प्रति.क.1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ था। प्रति.क–1 का विवाह उसके पिता के जीवनकाल में 50 वर्ष पूर्व हो चुका है। वह उसके ससुराल ग्राम मोहबट्टा में रहती है। प्रति.क-1 को विवाह के समय हरे मंडप में वादी एवं उसके पिता ने 4 एकड़ भूमि देने का कहा था। वादी के समाज में विवाह के समय दान–दहेज में जो दिया जाता है, उससे अधिक कोई पैतृक हिस्सा नहीं रहता है। इस प्रकार प्रति.क—1, 4.00 एकड़ भूमि से ज्यादा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रति.कृ—1 ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में शामिल-सरीक नाम दर्ज होने से तहसीलदार परसावाड़ा के न्यायालय में बंटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें तहसीलदार ने त्रुटिपूर्ण आदेश किया है। तहसीलदार परसवाड़ा के रा.प्र.क-16अ / 27 वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक—13.04.16 के द्वारा प्रति.क—1 भूमि के आधे हिस्से में नाम दर्ज कराकर भूमि के हिस्से में अफरा-तफरी करने के उद्देश्य से विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। बादी के कब्जे में प्रति.कृ–1 को दखल देने से एवं अनाधिकृत रूप से विक्य किये जाने से रोका जाना आवश्यक है। गोठल वा.सा.२ ने वादी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि वादी एवं प्रति.क-1 की लगभग 18.00 एकड़ भूमि है। प्रति.क-1 को वादी के पिता ने विवाह के समय 4.00 एकड़ भूमि देने का वचन दिया था, जिसकी वह हकदार है। प्रति.क.1 की ओर से वादी एवं उसके साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया है एवं वादी की साक्ष्य के खण्डन में प्रति.क.1 ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगा. 4 के राजस्व दस्तावेजो की सत्यप्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं।

8. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्ष 2015—16 की खसरा पांचसाला प्रदर्श पी—1 लगा. प्रदर्श पी—3 में वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रति.क—1 का नाम भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। वादी ने तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में रा.प्र.क—163—27 वर्ष 2014—15 प्रदर्श पी—4 में लिखित आपित प्रस्तुत की थी। उक्त लिखित आपित के समर्थन में वादी ने कोई मौखिक या लिखित साक्ष्य तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की थी कि उसकी जाति कौन सी रूढ़ि से शासित होती है। वादी ने उसकी जाति की रूढ़ि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर उसकी जाति की रूढ़ि प्रमाणित नहीं कराई है। प्रति.क—1 ने वादी की साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, परंतु उसका लाभ वादी को नहीं मिल सकता है। वादी को अपना वादपत्र प्रमाणित करना है। तहसीलदार परसवाड़ा ने रा.प्र.क—163—27 वर्ष 2014—15 के आदेश दिनांक—13.04.2016 के द्वारा 9.21 एकड़ भूमि वादी के नाम पर एवं 9.22 एकड़ भूमि प्रति.क—1 के नाम पर बंटवारा कर राजस्व प्रलेख दुरूस्त

किये थे। वादी ने तहसील न्यायालय परसवाड़ा के राजस्व प्रकरण में उसकी आपित के समर्थन में उसकी जाति की रूढ़ि एवं प्रथा को किसी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया था। इस कारण तहसीलदार परसवाड़ा ने हिन्दू विधि के अनुसार बंटवारा आदेश पारित किया था। उक्त आदेश को वादी ने राजस्व अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। वादी ने प्रश्नाधीन प्रकरण में भी उसकी जाति की रूढ़ि एवं प्रथा को किसी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया था। वादी ने उसकी जाति की रूढ़ि प्रकरण में प्रमाणित नहीं की है।

प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के प्रदर्श पी-1 लगा. 3 के 9. राजस्व दस्तावेजों में वादी एवं प्रति.क-1 का नाम संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। प्रति.क-1 ने वादग्रस्त भूमि में से प्रदर्श पी-4 के आदेश के द्वारा उसके हिस्से की भूमि का बंटवारा कराकर आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। प्रदर्श पी-4 के आदेश के द्वारा शेष भूमि का बंटवारा वादी के नाम पर हुआ है। विवादग्रस्त भूमि मे से प्रति.क-1 का उसके हिस्से की भूमि पर आधिपत्य है। प्रदर्श पी-1 लगा. 4 के राजस्व दस्तावेजों से वादी वादग्रस्त भूमि में से उसके हिस्से की भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी माना जाता हैं। प्रदर्श पी-1 लगा. 4 के दस्तावेजों से प्रति.क-1 वादग्रस्त भूमि में से उसके हिस्से की भूमि की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रति.क-1 को उनके पिता की मृत्यु होने के कारण उनको बंटवारे में प्राप्त हुई है। इस कारण तहसीलदार न्यायालय परसवाड़ा का रा.प्र.क-16अ-27 वर्ष 2014-15 को प्रकरण शून्य घोषित किया जाना उचित नहीं है। वादी वादग्रस्त भूमि में से 9. 21 एकड़ भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है एवं वादग्रस्त भूमि में से शेष भूमि प्रति.क—1 की है। वादी एवं प्रति.क—1 का प्रदर्श पी—1 लगा. 3 के खसरा पांचसाला में विवादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से नाम दर्ज हैं। इस कारण वह विवादग्रस्त भूमि के सह-स्वामी हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श नहीं हुए हैं। वादी के प्रदर्श हुए दस्तावेजों के आधार पर प्रति.क-1 का नाम भी विवादग्रस्त भूमि पर दर्ज है। इस कारण प्रति.क-1 को विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से रोका जाना एवं प्रति.क-1 को विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार से निषेधित किया जाना उचित नहीं है। वादी को प्रदर्श पी-1 लगा. 3 के खसरा पांचसाला एवं प्रदर्श पी-4 के राजस्व न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा के आदेश के द्वारा विवादग्रस्त भूमि में से उसके हिस्से की ख.नं-1/6 रकबा 0.25/0.101, ख.नं-51/1 रकबा 3.41/1.380, ख.नं-53 रकबा 5.68 / 2.299 भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी माना जाता है।

## वादप्रश्न क.-5 सहायता एवं व्यय

10. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादी उसका वादपत्र आंशिक रूप से प्रति.क.1 के विरूद्ध विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 1/16 रकबा 0.101 हेक्टेयर, खसरा नंबर—51/1 रकबा 2.271 हेक्टेयर, खसरा नंबर—53 रकबा 4.598 हेक्टेयर भूमि में से ख.नं—1/6 रकबा 0.25/0.101, ख.नं—51/1 रकबा 3.41/1.380, ख.नं—53 रकबा 5.68/2.299 के संबंध में प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप वादी के पक्ष में निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—

1—यह प्रमाणित माना जाता है कि वादी विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 1/16 रकबा 0.101 हैक्टेयर, खसरा नंबर—51/1 रकबा 2.271 हेक्टेयर, खसरा नंबर—53 रकबा 4.598 हेक्टेयर भूमि में से भूमि ख.नं—1/6 रकबा 0.25/0.101, ख. नं—51/1 रकबा 3.41/1.380, ख.नं—53 रकबा 5.68/2.299 का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

2—उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे। 3—अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)
द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग—1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह) द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1 तहसील बैहर, जिला बालाघाट